


सकाधि-11/सोनपुर की टिप्पणी सं०-का/227/एसएस/सीजी/ग्रुप-डी/पदस्थापना/प्रशिक्षण/सोन/21 दिनांक: 08.02.2021 के आलोक में नीचे अंकित अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा ग्रुप-डी पद हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप अनुकम्पा के आधार पर ग्रुप-डी (लेवल-01) पद पर नियुक्ति हेतु पात्र पाये गये है एवं वांछित स्वास्थ्य परीक्षा में फिट पाये गये है की नियुक्ति परिचालन विभाग में ट्रापोर्टर के पद पर वेतनमान 7<sup>th</sup> CPC के अनुसार लेवल-01 में वेतन रू० 18000/- प्रतिमाह एवं नियमानुसार देय अन्य भत्तों के साथ अस्थाई रूप से नियुक्त कर उनके नाम के सामने लिखे स्टेशन पर पदस्थापित किया जाता है ।

क.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम पदनाम, कार्यस्थल, विभाग	अभ्यर्थी का जन्मतिथि एवं शै० योग्यता एवं चिकित्सा श्रेणी	पद/ पदस्थापित स्टेशन	कर्मचारी का फोटो	हस्ताक्षर का नमूना तथा बायें हाथ के अंगूठे का निशान
1	श्री आशुतोष कुमार (ST)	स्व० छंगुरी मंडल, भूपू मेट/इंजीनियरिंग/दुबहा	28.07.2002 Matric A-1& below	ट्रा० पोर्टर/ परिचालन/ खगड़िया		Ashutosh kumar

एक नाम।

पूर्व मध्य रेल, सोनपुर

उपर्युक्त अभ्यर्थी समूह 'घ' लेवल-01 श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नियमों से शासित होंगे । इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण की तिथि से मानी जायेगी । भविष्य में रेल सेवा में बने रहना पुलिस द्वारा चारित्रिक जांच में अनुकूल रहने की शर्त पर निर्भर करेगा । यदि जांच रपट प्रतिकूल पाया गया तो इनकी सेवा बिना किसी सूचना दिये समाप्त कर दी जायेगी । इन्हें रेलवे के प्रादेशिक सेना में सात वर्ष तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित अवधि तक सेवा करनी होगी । उपर्युक्त अभ्यर्थी कार्यालय आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित पर्यवेक्षक के यहाँ अपना योगदान दें अन्यथा इसे निरस्त समझा जायेगा ।

उपरोक्त अभ्यर्थी रेल परिषद के पत्र संख्या- एफ/ई/111/2003/पी.एफ/01/24 दिनांक 31.12.2003 के अनुसार दिनांक 01.01.2004 से लागू नये पेंशन पद्धति से शासित होंगे।

उपर्युक्त पदस्थापना वमपचाप्र/सोनपुर द्वारा आदेशित है ।

( रवि कुमार पंडित )

सकाधि-11

कृते मंडल रेल प्रबन्धक/का०/सोनपुर

दिनांक: 10 02.2021

संख्या-का/227/अनुकम्पा/परि/ग्रुप-डी/सोन/2018  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महाप्रबन्धक/का०/हाजीपुर।
2. वमपचाप्र एवं वमविप्र/सोनपुर।
3. स्टेडी/बरौनी:-कर्मचारी को विभाग द्वारा ट्रा० पोर्टर पद पर तैनात करने के पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
4. मुकार्याधी/बिल/बरौनी/सोनपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थी।
6. कार्यालय आदेश प्रति।
7. मुकार्याधी/भर्ती/कार्यालय में।
8. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल।

कृते मंडल रेल प्रबन्धक/का०/सोनपुर